

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)  
प्रकरण संख्या:-254 / 2023

दायर दिनांक:- 08.12.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 551

उनवान

देवीलाल पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला  
करौली राजस्थान

—वादीगण-02

बनाम

प्रेमसिंह पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला  
करौली राज0


—प्रतिवादीगण-04

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 18.12.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 254/23 देवीलाल बनाम प्रेमसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में  जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली